

19/05/23

मु. 1

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग
अभियान २०२३" रैम्प लालसर
में पेश हुई। वादी एवं पक्षकारान
उपस्थित हुए। रैम्प में वादी
एवं पक्षकारान को समझाईश की
गई। समझाईश के पश्चात्
आपसी सहमति से तकारमा
हेतु तैयार हुए। वादी ने वाद
विज्ञो करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बाद अवलोकन वादी
का वाद खारिज किया जाता है
तथा तहसीलदार मिशनगर
रैमवाल को तकारमा वाद
आदेश दिया गया। पत्रावली दर्ज
अंवर से कम होकर फैसल शुमार

19/05/23

बनाम _____

वर्ष

:

_____/20____

आज्ञा
प्राप्ति

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

हो। वादी का प्रार्थना पत्र
शामिल मिसत्र किया गया।
निर्णय शुद्धी कैंम्प लालासर में
"प्रशासन गाँवों के संग अभियान
२०२३" में सुनाया गया।

लगा